Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में दिनेश मीणा हाल कनिष्ठ सहायक रजिस्ट्री लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर को 15,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।**

जयपुर, 13 फरवरी गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्री दिनेश मीणा कनिष्ठ सहायक रजिस्ट्री लिपिंक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर द्वारा 15,000 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया। **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा अपने प्लाट की रजिस्ट्री दिनांक 31.01.2025 को करवाई गयी थी उप पंजीयक बहादुरपुर एवं उक्त कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा रजिस्ट्री देने के नाम पर उसके प्लाट को कॉर्मिशियल बताकर 15,000 रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **श्री अनिल कयाल उप महानिरीक्षक पुलिस–चतुर्थ** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी के प्रभारी **श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री दिनेश मीणा कनिष्ठ सहायक रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर को परिवादी से 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्री यतेन्द्र सहायक प्रशानिक अधिकारी रीडर पंजीयन लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर कार्यवाही की भनक लगने पर ट्रेप पार्टी को देखकर मौके से फरार हो गया जिसकी दस्तयाब जारी है। सुश्री भानुश्री उप पंजीयक बहादुरपुर की संदिग्ध भूमिका का अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।